उद्योग निदेशालय

उद्योग निदेशालय द्वारा संचालित
उद्यमी / निवेश
परक योजनायें / व्यवस्थायें / कार्यक्रम एक परिचय

उद्योग निदेशाालय,उ0प्र0,
कानपुर।

योजनाओं का संचालन

- एकल मेज व्यवस्था एवं हेल्पडेस्क
- हस्तशिल्प सिंवर्धन हेतु योजनायें
- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना
- औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति सामूहिक औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना (केन्द्र पुरेानिधानित योजनायें)
- त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना
- वायुयान भाड़ा सहायता योजना
- एसाईड (केन्द्र पुरेानिधानित योजनायें)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आंकड़ों का संग्रहण (केन्द्र पुरेानिधानित योजनायें)

एकल मेज योजना एवं उद्योग बन्धु
(शासनादेश सं0 14.12.1998 दिनॉक 1839/77–6–98)

- एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था के उद्देश्य से उद्योगों को विभिन्न विभागों से अनुमोदन/स्वीकृतियॉ/आपत्तियों तथा लाइसेन्स इत्यादि के सम्बन्ध में आवेदन–पत्रों का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न करने की व्यवस्था
- एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र
- विलम्बित मामलों में डीम्ड अनुमोदन की व्यवस्था
- उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु शासन द्वरा 28 फरवरी 1989 को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा मण्डल स्तर पर 23 जून 1990 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु के रूप में गठन
- समितियों के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का समाधान जिला/मण्डल स्तर की समितियों में नही हो पा रहा है, उन्हें राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करके उनका समाधान
- जिन समस्याओं का समाधान त्रिपक्षीय बैठकों के माध्यम से नही होता है उन्हें विशेष रूप से गठित वर्किग ग्रुप जैसे वाणिज्य कर, विद्युत, अवस्थापना, प्रदूषण तथा श्रम में प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान

हेल्प डेस्कः–

- **प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र पर हेल्प–डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध**
- इस सुविधा का लाभ उद्यमियों द्वारा पूरे प्रदेश में नि :शुल्क प्राप्त किया जा रहा है जिसके द्वारा इन्टरनेट से जानकारियां विभिन्न विभागों के उपलब्ध फार्म, एवं इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन पत्रों का विभिन्न विभागों को प्रेषण आदि किया जा रहा है।

हस्तशिल्प संवर्धन हेतु योजनायें

- हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना
- निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप
- हस्तशिल्पी पहचान पत्र योजना
- अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना
- अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों को सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय को परियोजनान्तर्गत सहायता योजना
- प्रदेश के विशिष्टि शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना
- राजीव गॉधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना
- हस्तशिल्पी क्रेडिट कार्ड योजना
- हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये हस्तशिल्पियो को राष्ट्रीय पुरस्कार योजना
- प्रदेश के विशिष्टि हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार प्रदान करने की योजना
- बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर लघु उद्योग प्रादेशिक पुरस्कार योजना

निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो की स्थापना का उद्देश्य

(शासनादेश संख्या 2574/18–4–99–81(निर्यात)/98 लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 1999)

- निर्यात व्यापार से जुड़ी इकाइयों एवं उद्यमियों को पंजीकृत करना तथा ऐसी पंजीकृत इकाइयों में से रू0 20.00लाख वार्षिक अथवा उससे अधिक वार्षिक निर्यात टर्नओवर वाली इकाई को सिल्वर/गोल्ड ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराना।
- प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन हेतु निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें यथा–विपणन विकास सहायता, भाड़ा युक्तिकरण योजना, राज्य निर्यात पुरस्कार योजना आदि का संचालन।
- निर्यात क्षेत्र में सफलता प्राप्त किये जाने हेतु विदेशी बाजारों के बारे में विस्तृत एवं अद्यावधिक सूचना निर्यातकों को उपलब्ध कराना।
- प्रमुख निर्यात केन्द्र स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर निर्यातकों एवं सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं की नियमित बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना।
- निर्यातकों को सभी क्लियरेन्स यथा अवस्थापना, विद्युत व्यापार कर, प्रदूषण आदि सभी क्लियरेन्स निश्चित समय के अन्दर उपलब्ध कराना।
- निर्यात मूलक उद्योग से सम्बन्धित विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों का परीक्षण एवं कार्यान्वयन करना तथा आयातक/निर्यातक एवं आपूर्तिकर्ताओं की निदर्षनी तैयार करना।
- प्रमुख निर्यात केन्द्रों में प्रदर्षन, विक्रय, सम्मेलन, गोष्ठी आदि का आयोजन कराना।
- क्रेता विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन तथा निर्यातकों को व्यापार मेलों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना।
- उत्पादकता में वृद्धि, नये डिजाइनों, आधुनिक तकनीक की जानकारी एवं उत्पाद के विविधीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
- उ0प्र0 निर्यात नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों द्वारा संचालित योजनाएं

त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना

- **अन्तरा"टीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता –**
  - विदेश मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए स्थल किराये के रूप में 60 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 1लाख,
  - हवाई यात्रा पर व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 0.50 लाख प्रचार प्रसार कैटलाग,
  - विज्ञापन और वेबसाइड़ इत्यादि तैयार करने के लिए व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम 0.60 लाख
  - विदेशी क्रेताओं को भेजने पर व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 0.50 लाख
  - तथा गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु प्रमाणीकरण पर व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 0.75 लाख प्रति वर्ष प्रति निर्यातक को सहायता प्रदान की जाती हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता–**
  - योजना का संचालनः–उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा
  - औद्योगिक इकाईयों के विपणन वृद्धि हेतु प्रदेश की लघुत्तर, लघु, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग एवं हथकरघा क्षेत्र की ऐसी इकाईयॉ जो एम.एस.एम.ई. एक्ट के अन्तर्गत आती हैं, को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाता है।
  - उपरोक्त क्षेत्र की इकाईयों को प्रदर्शनियों में स्टाल बुक कराकर अपने माल को प्रदर्शनी स्थल पर ले जाने एवं स्थल किराये के रूप में किये गये व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाता है।

- **गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान योजना–**
- प्रदेश में स्थित इन्लैण्ड़ कन्टेनर ड़िपों/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से पोर्ट तक माल भाड़े का 20 प्रतिशत अधिकतम रू0 05 हजार प्रति टी0ई0यू0(20फिट कन्टेनर) की दर से अधिकतम रू0 10 लाख प्रति वर्ष प्रति निर्यातक को दिया जाता है।

एसाईड योजना

- निर्यात प्रोत्साहन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण की परियोजनाओं के स्थापनार्थ पूर्व में संचालित सी0आई0बी/इ0पी0आई0पी0/ई0पी0जेड0 आदि योजनाओं को समेकित करते हुये वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से संचालित
- एसाईड फण्ड का 80 प्रतिशत, राज्य कम्पोनेन्ट जो प्रदेश को निर्यात परफार्मेन्स के आधार पर देय, तथा 20 प्रतिशत केन्द्रीय कम्पोनेन्ट अन्तर्राज्यीय अवस्थापना परियोजनाओं हेतु
- योजना की नोडल ऐजेन्सी, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ तथा नोडल अधिकारी निर्यात आयुक्त, उ0प्र0 नामित
- परियोजनाओं के चयन/अनुमोदन/क्रियान्वयन आदि के अनुश्रवण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात प्रात्साहन समिति (एस0एल0ई0पी0सी0) का गठन।
- प्रदेश में अभी तक 54 परियोजनायें स्थापित तथा 29 परियोजनायें स्थापनाधीन

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण (यूपीटीपीए)

- उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सं0–21 , 1860 के अर्न्तगत वर्ष 1994 में उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन
- उद्योग एवं व्यवसाय संवर्द्धन/प्रोत्साहन की एजेन्सी।
- विभिन्न मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना प्राधिकरण का प्रमुख

• उद्वेश्य :–

- निर्यात हेतु पोटेंशियल उत्पादो का प्रदर्शन, प्रदर्शनियों के माध्यम से उत्पादों की विपणन व्यवस्था।
- प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित पारम्परिक उत्पादों के निर्यात एवं प्रोत्साहन हेतु बाजारों का सर्वेक्षण कराना तथा निर्यात प्रोत्साहित करना।
- किसी भी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जिसका उद्देश्य प्राधिकरण के उद्देश्यों के समान हो, का सदस्य बनना।
- प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कार्यकलापों के अनुसार उन्हें श्रेणीबद्ध कर उनका प्राधिकरण में पंजीकरण कराना, ताकि उनके उत्पादित माल की संरचना के अनुसार विभिन्न मेलों में उनका प्रतिनिधित्व कराया जा सके।
- प्रत्येक वर्ष भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई0आई0टी0एफ0) में प्रादेशिक इाकईयों की सहभागिता सुनि"pत कराना।

औद्योगिक आस्थान–

वि"ा"ट व्यवस्थाएं

- उ0प्र0 में विभिन्न आकारों के बृहद 80 एवं मिनी 168 औद्योगिक आस्थान स्थापित
- बृहद औद्योगिक आस्थान 56 जिलों में 80 स्थानों पर स्थापित हैं जिनमें 983 शेड और 3595 भूखण्ड विकसित
- 99 वर्ष के पट्टे पर भूखण्डों/शेडों का आवंटन
- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों हेतु भूखण्डों/शेडों को बंधक रखने की व्यवस्था।
- 10 प्रतिशत कीमत लेकर भूखण्ड/शेड का कब्जा दिया जाता है।
- शेष 90 प्रतिशत मूल्य समान 15 वार्षिक किश्तों में देय।
- वर्ष 2000–01 से भूखण्डों का विभाजन अनुमन्य।

औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

- उद्देश्यः– नई विश्व आर्थिक नीति एवं ग्लोबलाईजेशन के आलोक में निवेशकों को प्रदेश एवं जनपदों में निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था
- बृहद औद्योगिक आस्थानों में इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यो का सम्पादन

उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन)

- उद्देश्य :–

  आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करना

- सुविधायें :–

(क) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के तकनीक की खरीद और आयात जिसके द्वारा गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी, को मान्यता प्राप्त/सक्षम संस्थानों सरकारी संस्थाओं और शोध केन्द्रों से प्राप्त करने में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान देय जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.50 लाख होगी।

(ख) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत पूँजी उपादान देय, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख होगी।

(ग) उपरोक्त (प्रस्तर–ख में अंकित) क्रय की गयी मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। ब्याज उपादान 5% वार्षिक की दर से दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रु0 50,000/– होगी तथा यह सुविधा 5 वर्ष तक दी जायेगी।

(घ) आई0एस0आई0 या आई0एस0ओ0 श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त किये जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50% उपादान के रूप में देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख होगी।

(ङ) उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 90% राशि अधिकतम सीमा रु0 50,000/– तक अनुदान देय होगा।

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

- योजना का शुभारम्भः भारत सरकार के परिपत्र सं0टी.एम./यू.एन.डी/ 2005 दिनांक 14.03.2006 के द्वारा
- मूल उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयो को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है ताकि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के युग में लघु इकाइयॉ अपनी उत्पाद क्षमता गुणवत्ता एवं कैपेसिटी उच्चीकरण कर सके
- सार्वजनिक, निजी, सहभागिता की मंशा पर आधारित है ताकि क्लस्टरों के विकास एवं प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठाई जाए
- प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के पश्चात डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है।
- डायग्नोस्टिक स्टडी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषिण
- क्लस्टर प्रोजेक्ट में लागत का 60–80 प्रतिशत अधिकतम रू0 8 करोड़ केन्द्रांश शेष 40 प्रतिशत में से राज्य सरकार एवं क्लस्टर एस0पी0वी0 का योगदान
- धनराशि सीधे एस0पी0वी0 को भेजे जाने का प्रावधान

उ0प्र0 में गणना योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आंकड़ों का संग्रहण

(कलैक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ एम0एस0एम0ई0 योजना वर्ष 1978–79 से प्रारम्भ)

- लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत/अपंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों के विभिन्न आर्थिक पैरामीटर्स जैसेः– पूंजी निवेश, रोजगार सृजन, निर्यात, कच्चे माल की आवश्यकता/खपत, उत्पादन क्षमता/उत्पादन मात्रा के अतिरिक्त लघु औद्योगिक इकाईयों में व्याप्त प्रारम्भिक रूग्णता एवं रूग्णता के कारणों आदि पर आकड़ों को संग्रहण

- लघु औद्योगिक क्षेत्र से संम्बन्धित भावी योजनाओं के निर्माण हेतु सैम्पुल सर्वे, नैदानिक सर्वे सहित लघु उद्योग गणना के माध्यम से डाटा बेस तैयार कर समय–समय पर अद्यतन कराना

रूग्ण ईकाई का पुनर्वासन

(959/18–2–2004–77(44)/88 दिनॉक 9.6.2004)

परिभाषाः–

- ईकाई का कोई ऋण खाता 6 माह से सब स्टैण्डर्स रहा हो अर्थात ऋण खाते का मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अतिदेय हो।

या

- संचित नकद हानियों के कारण पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में इसके नेट वर्थ में इसके पीक नेट वर्थ के 50 प्रतिशत या अधिक का अपरक्षण हुआ है। नकद हानियों के कारण पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में इसके वास्तविक मूल्य नेट वर्थ के 50 प्रतिशत या अधिक का अपरक्षण हुआ है।

और

- इकाई कम से कम दो वर्ष तक व्यवसायिक उत्पादन में रही हो।

चिन्हांकन एवं पुनर्वासनः–

- औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ''स्लिक''–राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति
- सचिव लघु उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति
- सभी मण्डलों में मण्डल स्तरीय समितियां–मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में पुनर्वासन समिति
- समस्त पंजीकृत एवं वित्त पोषित इकाइयों का सर्वेक्षण

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उद्देश्यः—प्रदेश में बढ़ती हुई बेराजगारी को दृष्टिगत में रखते हुए औद्योगिक विकास में गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाना

- औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने एवं सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्य मकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है।
- योजनान्तर्गत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम, दो साप्ताहिक, चार साप्ताहिक एवं छै साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन

- यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति सामूहिक औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

- वर्ष **2007–08** से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित
- रोजगार सृजन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित लाभार्थियों का कौशल प्रशिक्षण ओर उन्नयन हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रशिक्षण प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर, टेलरिंग, व्यूटीशियन एवं फैशन डिजाइनिंग आदि वर्तमान मांग आधारित ट्रेडों में
- प्रशिक्षणार्थियों को 500.00 रू0 के टूल किट के साथ–साथ रू0 5000.00 का स्टाइपेण्ड अनुमन्य
- तकनीकि टेड में कक्षा 8 पास अनिवार्य एवं गैर तकनीकि में मात्र लिखने पढने का ज्ञान
- प्रशिक्षार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यविकास अधिकारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्धोग केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित करके की जाती है।
- एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह व्यवहारिक प्रशिक्षण

हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

- **वर्ष 2007–08 से प्रदेश में संचालित**
- परम्परागत हस्तकला तेजी से बदले बाजार के अनुरूप सक्षम होना आवश्यक है जिसके लिये कौशल विकास व नई डिजाईनों के नये–नये आयाम स्थापित करने के लिये हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप
- योजनान्तर्गत प्रशिक्षक को मानदेय के रूप में रू0 4,000/– मासिक मानदेय एवं रू0 1,000/– कच्चेमाल हेतु प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षार्थियों को रू0 500/– मासिक मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है
- प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित
- एक बैच में 10 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 माह का होता है

सहयोगी व्यपारियों के अधीन डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण योजना

- ऐसे व्यापारियों द्वारा शिल्पकार को आवश्यक कच्चामाल, आवश्यकतानुरूप डिजाइन देकर बाजार की मॉग के दृष्टिगत उत्पाद बनवाकर खरीद लिया जाता है के संरक्षण में प्रशिक्षण
- योजनान्तर्गत सहयोगी व्यापारी को रू0 2000/– प्रति प्रशिक्षार्थी का मुआवजा एवं प्रशिक्षार्थी को रू0 500/– का मासिक स्टाईपेण्ड देकर 6 माह की अवधि के डिजाइन विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कराया जाता है
- प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 10 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं

निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप

- योजनान्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर्स को हस्तशिल्प निर्यात सम्बर्द्धन परिसद, नई दिल्ली के माध्यम से आमन्त्रित किया जाता है एवं आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम तैयार कराकर वर्कशाप कराये जाते हैं
- प्रत्येक वर्कशाप में 20 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिन्हें वर्तमान में निर्यातक अपने कार्यशाला में ही प्रशिक्षित करके उनसे काम लेते है

हस्तशिल्पी पहचान पत्र योजना

- हस्तशिल्पी होने की पहचान प्राप्त करने से वंचित हो रहे हस्तशिल्पियों को पहचान प्रदान करने हेतु विकास आयुक्त हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा पिछले कई वर्षो से हस्तशिल्पी पहचान पत्र बनवाने की योजना
- आगरा, बाराबंकी, सहारनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, में विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र/सेवा केन्द्र खोलते हुये संचालित
- योजना को और अधिक व्यापक / प्रभावी बनाने के लिये उद्योग विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा मैपडाईटैक्स, संस्था, उद्योग निदेशालय परिसर द्वितीय तल, कानपुर को भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली से अनुमोदित कराते हुये मुख्यालय पर ही यह सुविधा उपलब्ध
- जनपदों के हस्तशिल्पियों की पहचान करते हुये कैम्प आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुये ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्पियों को पहचान पत्र निर्गत
- हस्तशिल्पी फोटो पहचान पत्र बन जाने के बाद हस्तशिल्पी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित करायी जा रही विभिन्न योजना के अन्तर्गत लाभान्वित

अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना

- योजना वर्ष 1961–62 से चालू
- विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्वि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार देश एवं प्रदेश में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन
- बहुमुखी प्रतिभा के धनी हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित की गयी हस्तशिल्प वस्तुओं को बिक्री पर विशेष छूट प्रदान की जाती है तथा प्रर्दशनी/गोष्ठियों का भी आयोजन

अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों को सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय को परियोजनान्तर्गत सहायता योजना

- योजना वर्ष 1984–85 से निरन्तर लागू
- यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के बच्चों एवं अन्य को फिटर–कम–वेल्डर एवं मशीनिस्ट ट्रेडो में क्रमशः 28–30 प्रशिक्षार्थियों का चयन
- प्रशिक्षार्थियों को 2 वर्षीय प्रशिक्षण सत्र चलाते हुये प्रशिक्षण

प्रदेश के विशिष्टि शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना

- वर्ष 2007–08 से प्रदेश में प्रभावी
- आर्थिक अक्षमता एवं बढ़ती आयु के कारण जीवकोपार्जन आयोग्य हो चुके दस्तकारों को जीवोकोपार्जन हेतु सहायता एवं केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों एवं उपाद्वियों से सम्मानित दस्तकारों की कला के प्रति समर्पित भावना एवं प्रदेश के गौरव को बढ़ाने में दिये गये योगदान को दृष्टिगत रखते हुये संचालित
- प्रत्येक हस्तशिल्पी को रू0 1000/– प्रतिमाह मुख्यालय से ही उनके बैंक खातों में सीधे ही हस्तानान्तरित करवाया जाता है
- योजनान्तर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार / राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार एवं शिल्प गुरू पुरस्कार पाने वाले प्रदेश के ऐसे विशिष्ट हस्तशिल्पी जिनकी आयु कम से कम 50 की होनी चाहिए
- शारीरिक रूप से विकलांग शिल्पकार/दस्तकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट

राजीव गॉधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना

- योजना विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित
- मुख्य उददेश्यः— शिल्पकारों को स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्कृष्ट सहायता उपलब्ध कराना
- योजना के अन्तर्गत शिल्पकारा, उसकी पत्नी व दो बच्चे आच्छादित
- योजना का कुल प्रीमियम रू0 800/— प्रतिवर्ष
- भारत सरकार का अंशदान रू0 650/— तथा शिल्पकार का अंशदान रू0 150/—
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिल्पकारों के लिये भारत सरकार का अंशदान रू0 725/— तथा शिल्पकार का अंशदान रू0 75/— देय
- योजनान्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना/मृत्यु होने की दशा/ शरीर के एक अंग अलग होने पर/शरीर का एक अंग पूर्ण रूप से खराब होने पर बीमित शिल्पकार को रू0 1,00,000/— प्राप्त होता है

हस्तशिल्पी क्रेडिट कार्ड योजना

- शिल्पकारों के शिल्प आर्थिक मदद के अभाव में बन्द से हो रहे को दृष्टिगत रखते हुये विकास आयुक्त हस्तशिल्प, भारत सरकार के माध्यम से आर्टीजन क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत बैंकों से अधिकतम रू0 2,00,000/– तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है
- **उद्देश्यः–** शिल्पकार अपने अपने शिल्पकार्य को और अधिक बढ़ाते हुये अपने परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से सम्पन्न करते हुये अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊॅचा उठाना
-

हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये हस्तशिल्पियो को राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश के हस्तशिल्पियों को समाज में एक उत्कृष्ट श्रेणी का सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित
- सिद्वहस्तशिल्पियों को शिल्पकारिता में उत्कृष्टा बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र से पुरस्कृत हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा चयन
- राष्ट्रीय पुरस्कार चयनित हस्तशिल्पी को रू0 1.00 लाख तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र से पुरस्कृत हस्तशिल्पी को रू0 50,000/– की धनराशि

प्रदेश के विशिष्टि हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार प्रदान करने की योजना

- योजना वित्तीय वर्ष 1977–78 से प्रारम्भ
- **मुख्य उद्देश्यः–** प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पयों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना
- योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 10 राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार तथा 10 दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार मा0 लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री जी के कर कमलो द्वारा प्रदान किये जाते है
- राज्य पुरस्कार विजेताओं को रू0 20,000/– नकद, अंगवस्त्र, ताम्रपत्र तथा प्रमाण–पत्र एवं दक्षता पुरस्कार विजेताओं को रू0 10,000/– नकद एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर लघु उद्योग प्रादेशिक पुरस्कार योजना

- प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश संख्या 564/18–2–2009–30 (15)/2002 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा प्रारम्भ
- प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार
- टर्नओवर,सफल एवं उत्कृष्ट उत्पादन, गुणवत्ता के आधार पर चयन

क्रं0 सं0	पुरस्कार	पुरस्कारों की सं0
1	सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार	1
2	सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्योग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार	6
3	सेवा क्षेत्र में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार	2
4	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कार	2
5	सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पाद	14
6	सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कार	12
7	कुल योग	37

स्टार केटेगरी अलंकरण

- प्रदेश के अच्छे उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 711/18–6–6–20 (विविध)/94 दिनांक 06 अप्रैल, 1994 द्वारा स्वीकृत करते हुए संचालित
- ऋण, पूंजी निवेश एवं निर्यात की धनराशि के वर्गीकरण के आधार पर 1 स्टार से 7 स्टार उद्योग तक से सम्मानित कर प्रमाण–पत्र दिये जाने का प्राविधान

- उद्योगों को स्टार केटेगरी प्रदान किये जाने हेतु शर्तें निम्नानुसार निर्धारित हैः–
- इकाई पिछले 03 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किये हो।
- इकाई पर किसी संस्था का बकाया न हो, अर्थात् किस्तें समय से भुगतान की गई हों।
- इकाई के ऊपर कोई शासकीय देय, विद्युत परिषद के देयों को सम्मिलित करते हुए शेष न हों।
- निर्यात मूलक इकाई के लिए निर्धारित पूंजी निवेश के विरूद्ध निर्धारित निर्यात किया गया हा

मैपडाईटेक्स योजना

- मैपडाईटेक्स संस्था का गठन वर्ष 1994 में एक संस्था के रूप में उद्योग निदेशालय द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, निर्यातक इकाइयों तथा एच0बी0टी0आई0 के सहयोग से किया गया जिसे सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 29–12–1994 को पंजीकृत
- **संस्था के मुख्य उद्देश्य :–**
- उत्पादक इकाइयों एवं विपणन एजेन्सीज के बीच माध्यम के रूप में समन्वय स्थापित करना जिससे कि औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों एवं उपभोक्ता की अभिवृद्धि सम्भव हो सके।
- उत्पादक इकाइयों को अपने उत्पादों के प्रर्दशन हेतु (डिस्प्ले) स्थान उपलब्ध कराना जिससे उनकी विपणन व्यवस्था में सहयोग प्राप्त हो तथा प्रदेश के उत्पादों के विपणन व्यवस्था का विकास हो सके।
- औद्योगिक व्यापार मेले एवं प्रर्दशनी आयोजित करना तथा शो रूम्स व डिपो विकसित करना एवं उनमें भाग लेना जिससे राज्य के औद्योगिक उत्पादों की बिक्री में अभिवृद्धि हो सके।
- निर्यात में उन्नति के लिए सहयोग करना, नये उत्पादों तथा परम्परागत उत्पादों के लिए नये बाजारों की तलाश करना जिससे उनके विपणन एवं निर्यात अभिवृद्धि/विस्तार हो सके।
- सभी उत्पादक इकाइयों की अद्यतन डाटाबेस सूचनायें उनके उत्पादों तथा स्पेशीफिकेशन (मानको) के साथ तैयार करना तथा उन्हें विभिन्न एजेन्सीज को उपलब्ध कराना।
- औद्योगिक इकाइयों को अद्यतन तकनीकी व अन्य सूचनायें उपलब्ध कराना एवं उन्हें संशोधन एवं उच्चीकरण हेतु सुझाव देना।
- औद्योगिक एवं अन्य उपभोक्ता उत्पादों के प्रदर्शन हेतु किराये/लीज पर स्थान उपलब्ध कराना।
- औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए कारीगरों की दक्षता में अभिवृद्धि एवं उच्चीकरण हेतु अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराना।
- औद्योगिक इकाइयों एवं व्यक्तिगत औद्योगिक उत्पादों के वर्गीकरण एवं उनकी सदस्यता के साथ विभिन्न व्यापारिक संगठनों, संघों की स्थापना जिसके दस्य संगठन, संस्था/औद्योगिक इकाइयों एवं व्यक्गित उत्पाद हों।

त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना....

- **निर्यातको की क्षमता का विकास**–निर्यातकों की क्षमता के विकास हेतु अन्तराष्टीय नियमों एवं अन्तराष्टीय व्यापार संगठन ड़ब्लू0टीओ0 के प्रावधानों की जानकारी देने तथा निर्यातकों द्वारा सन्दर्भित किये गये मामलों एवं समस्याओं के लिए त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन इसयोजना के अन्तर्गत किया जाता है।

- **अध्यन सर्वे ब्राण्ड़ प्रमो'ान**–इस योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से स्टड़ी सर्वे आदि कराकर परिणामों से निर्यातकों के प्रत्यक्ष रूप से एवं न्यूज लेटर एवं सेमिनार /वर्कशाप के माध्यम से अवगत कराया जाता है। ब्राण्ड़ प्रमोशन हेतु विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों को जियोग्रफिकल इंड़ीकेटर के अन्तर्गत पेटेण्ट/पंजीकरण कराया जा रहा हैं।
- **वायुयान भाड़ा सहायता योजना**– इस योजना के अन्तर्गत निर्यात किये गये माल–भाडें पर व्यय का 20 प्रतिशत अथवा रू0 50 प्रति कि0ग्रा0 जो भी कम हो तथा अधिकतम रू0 2.00 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है।
- **मा0 कां'ीराम राज्य निर्यात पुरस्कार** –उत्कृष्ट निर्यातकों को 25 निर्यात ग्रुप के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार एवं समस्त श्रेणियों में से एक सर्वोत्कृष्ट निर्यातक पुरस्कार इस प्रकार कुल 51 पुरस्कार प्रदान किये जाते है।

फैसिलीटेशन काउन्सिल

- एम0एस0एम0ई0डी0एक्ट– 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा ''उ0प्र0राज्य माइक्रो एण्ड स्माल इण्टरप्राईजेज फैसिलीटेशन काउन्सिल'' का गठन वर्ष–2007 में
- उद्देश्य– वृहद एवं मल्टी नेशनल कम्पनियों की उच्च प्रतिस्पर्धा एवं कार्यशील पूंजी की कमी से जूझ रहें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमकर्ताओं द्वारा आपूर्तित माल/ सेवाओं के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा रोके गये भुगतान सम्बंधित व्यवसायिक विवादों के त्वरित निस्तारण
- पात्र ईकाईः– माल/सेवा आपूर्ति के समय स्थानीय जिला उद्योग केन्द्र से स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त अथवा एम0एस0एम0ई0डी0 एक्ट के प्रभाव में आने के उपरांत उद्यमी ज्ञापन–2 (मेमोरेण्डम–2) प्रस्तुत कर अभिस्वीकृति पत्र (एग्नॉलेजमेंट–2) प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमकर्ता दावे निर्धारित प्रपत्र व 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सुसंगत संलग्नकों को नोटराईज कराकर रूपया 2000/– के विविध शुल्क के साथ उद्योग निदेशालय उ0प्र0कानपुर के अन्तर्गत स्थापित फैसिलीटेशन सेल में दाखिल कर सकते है।
- काउन्सिल के एवार्ड के विरूद्ध विपक्षी (क्रेता) आर्बीट्रेशन एण्ड काउन्सिलेशन एक्ट–1996 की धारा–34 के अन्तर्गत मा0जिला जज के समक्ष प्रथम अपील तथा मा0उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है, किन्तु क्रेता को एम0एस0एम0ई0डी0एक्ट की धारा–19 के प्रावधान के अन्तर्गत एवार्ड की गई कुल धनराशि का 3/4 भाग अर्थात 75 प्रतिशत धनराशि कोर्ट में जमा करनी पड़ती है
- फैसिलीटेशान काउन्सिल के संचालन हेतु आयुक्त एवं उद्योग निदेशक उ0प्र0 पदेन अध्यक्ष एवं न्यूनतम दो एवं अधिकतम चार सदस्य विभिन्न संगठनों जैसे लघु उद्यम संगठन/बैंक एवं वित्तीय संस्थान अथवा वाणिज्य के विशेषज्ञों को अधिकतम दो वर्षों के लिये उ0प्र0 शासन द्वारा नामित।

राजीव गॉधी उद्यमी मित्र योजना

उद्देश्यः

- राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के उन सम्भावित उद्यमियों, जिन्होने ई0डी0पी0/एस0डी0पी0/ई0एस0डी0पी0/वी0टी0 कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, को उद्यमी मित्र अर्थात चयनित शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से नये उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन में विभिन्न प्रकियात्मक और कानूनी बाधाओं से निपटने तथा अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में पथ प्रर्दशन और सहयोग उपलब्ध कराना है।
- पात्रताः
- राजीव गॉधी उद्यमी मित्र योजनान्तर्गत उद्यमी मित्र अर्थात चयनित संस्थाओं को प्रथम पीढ़ी के सम्भावित उद्यमियों की सहायता और पथ प्रदर्शन प्रदान करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। निम्नलिखित एजेन्सी/संस्थायें शीर्ष संस्था अर्थात उद्यमी मित्र के रूप में नियुक्त की जा सकती हैः–
- 1– उद्यमिता विकास के कार्य में संलग्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संगठन।
- 2– उद्यमी मित्र के रूप मे सूचीकरण के लिये, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबर्धन और विकास में संलग्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेगें।
- 3– अन्य संस्थायें जो पात्रता की शर्ते पूरी करती है, सम्बन्धित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से आवेदन करेगी । सम्बन्धित राज्य/संघ शासित प्रदेश का उद्योग निदेशक/आयुक्त सीधे प्राप्त और महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से प्राप्त (श्रेणी–3) आवेदन पत्रों पर अपनी सिफारिश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को भेजेगें।
- उद्यमी मित्रों हेतु वित्तीय सहायताः
- उद्यमी मित्र के लिये योजना में वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था है, जिसके तहत सेवा उद्यम स्थापना हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी
- रू0 4000/– एवं रू0 25 लाख के निवेश पर प्रति परियोजना हेतु रू0 6000/– की धनराशि अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति/
- जनजाति/शारीरिक रूप से विकंलाग/महिला के मामलों में आदान व्यवस्था की धनराशि रू0 1000/– भी भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में दी जायेगी।

धन्यवाद